सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग

राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक–प्रतिवेदन

वर्ष 2020–2021

वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर

दूरभाष– 2740179, 2740909, 2744789

फैक्स : 0141–2740193

Website: lfad.raj.nic.in

E-mail: dir-lfad-rj@nic.in

प्रशासनिक–प्रतिवेदन

वर्ष 2020–2021

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1–2
2	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	3–5
	(i) प्रशासनिक संगठन	3
	(ii) स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	4
	(iii) बजट	5
3	क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	6
4	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना	7–21
	4.1 अंकेक्षण प्रक्रिया	7
	4.2 सामान्यतः पायी जाने वाली अनियमिततायें/कमियां	8–9
	4.3 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति	10–11
	4.4 आक्षेपों की स्थिति	
	(अ) सामान्य आक्षेप (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	12
	(ब) सामान्य आक्षेप दिनांक 31.12.2020 की स्थिति	13
	(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	14–15
	(द) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2020 की स्थिति	16–17
	(य) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	18
	(र) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी दिनांक 31.12.2020 की स्थिति	19
	(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	20
	(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2020 की स्थिति	21
5	विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थिति	22–23
6	मोनिटरिंग की व्यवस्था	24–25
7	अंकेक्षण शुल्क की स्थिति	26
8	सूचना का अधिकार	27
9	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	27
10	सार–संक्षेप	27

1. प्रस्तावना

राजस्थान राज्य की स्थापना के पूर्व से ही स्थानीय निकायों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता रहा था। इस कार्य को 15 नवम्बर, 1953 से राजस्थान सरकार ने महालेखाकार से अपने नियंत्रण में ले लिया और इस हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की स्थापना 17 दिसम्बर, 1953 को की गई। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंकेक्षण को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 28) जारी किया गया। इस अधिनियम के तहत दिनांक 26 मई, 1956 को राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 जारी किये गये। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में अधिसूचना दिनांक 15.04.2011 के द्वारा धारा–18 जोड़ी गई है, जिसके तहत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान–जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

इस क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का प्रथम वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 22 मार्च, 2013 को राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 तक का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन निम्नानुसार राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है:–

वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष	उपस्थापित करने की दिनांक
2012–13	20.02.2014
2013–14	25.03.2015
2014–15	28.03.2016
2015–16	28.03.2017
2016–17	27.02.2018
2017–18	13.02.2019
2018–19	26.02.2020

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(10)वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 31.08.2015 के दिशा–निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया गयाः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या
2011–12	12
2012–13	04
2013–14	02
2014–15	01
2015–16	01
2016–17	00
2017–18	00
2018–19	00
2019–20	08

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के क्रम में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.10(5) वित्त/अंकेक्षण/2010 दिनांक 02.02.11 एवं दिनांक 25.04.2016 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के किये जा रहे अंकेक्षण में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को अधिकृत किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा भी तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग को जारी रखने की सिफारिश की गई है। इस क्रम में विभाग द्वारा समय–समय पर महालेखाकार राजस्थान से विचार विमर्श कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

2. विभाग का संगठनात्मक ढांचा

2.1 प्रशासनिक संगठनः–

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का गठन वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 17 दिसम्बर, 1953 को किया गया था। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान है, जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी है। इनका पदस्थापन वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा किया जाता है। विभाग का प्रशासनिक स्वरूप निम्नानुसार हैः–

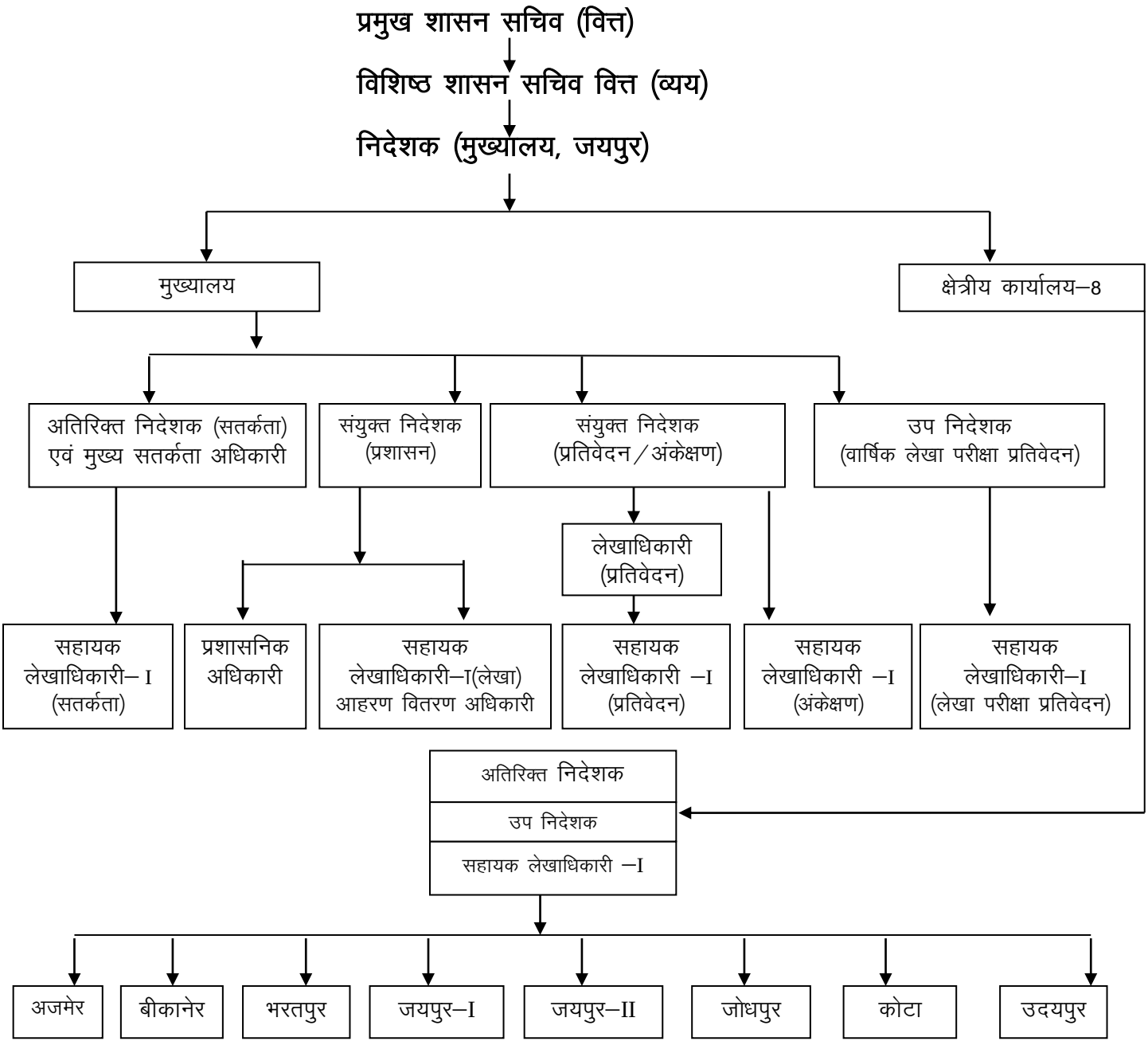

2.2 स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पद :–
(31.12.2020 की स्थिति)

(1) राजपत्रित अधिकारी				
क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	दिनांक 31.12.20 को रिक्त पदों की संख्या
1	निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा–हायर सुपर टाइम स्केल)	1	1	0
2★	अतिरिक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा सुपर टाइम स्केल)	9	9	0
3★	संयुक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा– चयनित वेतनमान)	2	1	1
4	उपनिदेशक (राजस्थान लेखा सेवा–वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)	9	6	3
5	लेखाधिकारी	42	21	21
	(i) अंकेक्षण दल 41			
	(ii) कार्यालय 1			
6	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	149	100	49
	(i) अंकेक्षण दल 137			
	(ii) कार्यालय 12			
7	निजी सचिव	1	1	0
8	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1
9	ए.सी.पी.	0	0	0
10	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
11	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	27	16	11
(2) अराजपत्रित कर्मचारीगण				
12	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	7	6	1
13	कनिष्ठ लेखाकार	236	162	74
	(i) अंकेक्षण दल 182			
	(ii) कार्यालय 54			
14	निजी सहायक	6	3	3
15	शीघ्रलिपिक	8	2	6
16	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	41	35	6
17	वरिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड–I)	91	41	50
18★	कनिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड–II)	107	101	6
19	सूचना सहायक	11	10	1
20	वाहन चालक	1	1	0
21	जमादार	1	1	0
22	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	56	21	35
	योग	**809**	**540**	**269**

★ 1 अतिरिक्त निदेशक के पद पर 1 संयुक्त निदेशक (क्षे0का0 भरतपुर) पदस्थापित दर्शाया गया है।
★ 1 संयुक्त निदेशक अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता) के पद के विरूद्ध पदस्थापित है।
★ 1 अतिरिक्त निदेशक संयुक्त निदेशक (अंकेक्षण/प्रतिवेदन) के पद के विरूद्ध पदस्थापित है।
★ कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत 107 पदों में से 02 कनिष्ठ सहायक (MBC) के छायापद स्वीकृत हैं जो भविष्य में होने वाली रिक्तियों से समायोजित होंगे।

2.3. बजट

इस विभाग की प्राप्तियों का एक मात्र स्त्रोत अंकेक्षण शुल्क है। अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के अंकेक्षण सम्पादित करने के पश्चात् वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 26.03.2018 द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की संबंधित संस्थाओं से मांग की जाती है।

विभाग का व्यय बजट मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं कार्यालय व्यय इत्यादि से सम्बन्धित होता है।

निदेशालय के वर्ष 2017–18 से 2018–19 एवं 2019–20 के बजट एवं वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट मद

प्राप्तियां	**व्यय**
	माँग संख्या 25
0070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन
60–अन्य सेवाऐं	098–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
110–सरकारी लेखा परीक्षण शुल्क	(01)–निदेशक स्थानीय निधि लेखा

(राशि लाखों में)

क्र. स.	वित्तीय वर्ष (गत तीन वर्षों की स्थिति)	प्राप्तियां		व्यय	
		बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2017–18	1000.00	761.75	2786.27	2755.71
2	2018–19	700.00	791.95	3564.998	3409.968
3	2019–20	800.00	1048.21	3739.88	3592.34
गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति					
4	2019–2020 (दि0 31.12.19 तक)	800.00	599.13	3739.88	2768.33
5	2020–2021 (दि0 31.12.20 तक)	800.00	530.47	3958.64	2961.89

- विभाग में दिनांक 01.04.2020 को पूर्व की बकाया अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 446.72 लाख थी जिसमें से 31.12.2020 तक राशि रु. 177.44 लाख तथा लेखा प्रमाणीकरण एवं नियमित अंकेक्षण शुल्क की राशि रु. 353.03 लाख इस प्रकार दिसम्बर 2020 तक (177.44+353.07) राशि रु. 530.47 लाख अंकेक्षण शुल्क वसूल किया गया है जो लक्ष्यों का 66.30% है।

3. क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

निदेशालय के अधीनस्थ आठ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	कार्यालय	क्षेत्राधिकार (जिले)	अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत अंकेक्षण दल	31.12.20 को कार्यरत अंकेक्षण दल	रिक्त
1	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–प्रथम फोन नं. 0141–2740223 **Email Address:** **lfad-jpr1-rj@nic.in**	**(i)** जयपुर **(ii)** सीकर	997	21	13	8
2	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय फोन नं. 0141–2740703 **Email Address:** **lfad-jpr2-rj@nic.in**	**(i)** दौसा **(ii)** झुंझुनू **(iii)** अलवर	1135	18	15	3
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर फोन नं. 0145–2627792 **Email Address:** **lfad-ajm-rj@nic.in**	**(i)** अजमेर **(ii)** भीलवाड़ा **(iii)** नागौर **(iv)** टोंक	1483	29	10	19
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर फोन नं. 0291–2650364 **Email Address:** **lfad-jod-rj@nic.in**	**(i)** जोधपुर **(ii)** पाली **(iii)** जैसलमेर **(iv)** बाड़मेर **(v)** सिरोही **(vi)** जालौर	1998	26	16	10
5	क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर फोन नं. 0151–2542354 **Email Address:** **lfad-bik-rj@nic.in**	**(i)** बीकानेर **(ii)** चुरू **(iii)** श्रीगंगानगर **(iv)** हनुमानगढ़	1256	23	12	11
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा फोन नं. 0744–2322210 **Email Address:** **lfad-kot-rj@nic.in**	**(i)** कोटा **(ii)** बारां **(iii)** बूँदी **(iv)** झालावाड़	901	16	5	11
7	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर फोन नं. 0294–2494230 **Email Address: lfad-uda-rj@nic.in**	**(i)** उदयपुर **(ii)** चित्तौड़गढ़ **(iii)** राजसमन्द **(iv)** डूँगरपुर **(v)** बाँसवाड़ा **(vi)** प्रतापगढ़	1975	26	13	13
8	क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर फोन नं. 05644–224075 **Email Address:** **lfad-bha-rj@nic.in**	**(i)** भरतपुर **(ii)** धौलपुर **(iii)** सवाईमाधोपुर **(iv)** करौली	1052	17	13	4
9	मुख्यालय		0	2	0	2
योग			**10797**	**178**	**97**	**81**

4. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना

4.1 अंकेक्षण प्रक्रिया

- ❖ विभाग का मुख्य कार्य पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, कृषि उपज मंडी समितियों, देवस्थान विभाग, विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण करना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की हुई है।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किसी अन्य संस्था की विशेष जाँच भी करायी जा सकती है।
- ❖ विभाग का अंकेक्षण वर्ष 1 जून से प्रारम्भ हो कर 31 मई को समाप्त होता है। अंकेक्षण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही अंकेक्षणाधीन संस्थाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः 15 मई से पूर्व संस्थावार/अंकेक्षण दलवार अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित संस्था को भी भेजी जाती है।
- ❖ अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 एवं इसके अन्तर्गत जारी स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के अनुसार अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण दलों के निर्देशन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर अंकेक्षण निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
- ❖ अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अंकेक्षण दल द्वारा संस्था को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश देने तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 7 में अभियोग प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। अभियोग प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी से विभाग द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- ❖ संस्थाओं के अंकेक्षण समाप्ति के 3 माह में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने की व्यवस्था है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा–10 एवं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम–28 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के तीन माह में प्राप्त होना अपेक्षित है।
- ❖ प्रतिवेदनों में दर्शाई गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत सरचार्ज/चार्ज/अन्य राशि वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है ताकि संस्थाओं को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एवं अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
- ❖ सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय – समय पर अंकेक्षण दलों का उनके कार्यरत रहने के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।
- ❖ अंकेक्षण दलों के विरूद्ध शिकायतों आदि के संबंध में निदेशालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं अंकेक्षण दलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

4.2 अंकेक्षण में सामान्यतः पाई जाने वाली अनियमितताऐं/कमियाँः–

इस विभाग द्वारा नियमित रूप से स्वायत्तशाषी संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। कुछ अनियमितताऐं ऐसी हैं जो प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण में पायी गई हैं एवं इनको रोकने हेतु संस्थाओं द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ गम्भीर अनियमितताओं का संस्थावार उदाहरण निम्नानुसार है :–

पंचायतीराज संस्थाएँ

- ❖ संस्था द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
- ❖ विभिन्न योजनाओं की राशि अवरूद्ध करना एवं इन योजनाओं की निधियों के उपयोग का अभाव।
- ❖ बंद/समाप्त हो चुकी योजनाओं की राशि सम्बन्धित को लौटाने का अभाव।
- ❖ योजनाओं में आवंटित राशि से अधिक व्यय करना।
- ❖ पी.डी. खाता, बैंक खाता तथा रोकड़ बही के शेषों से मिलान का अभाव।
- ❖ स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना।
- ❖ उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने का अभाव।
- ❖ अग्रिम राशि का समायोजन/वसूली नहीं होना।
- ❖ संस्था की परिसम्पत्तियों को किराये पर दिये जाने में अनियमितता एवं किराये की वसूली का अभाव।
- ❖ शिक्षा उपकर की राशि वसूली का अभाव एवं संस्था कोष में जमा कराने का अभाव।
- ❖ पंचायतों द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141,143,156 आदि के अन्तर्गत भू–आवंटन में अनियमितता से हानि।
- ❖ पंचायत/पंचायत समिति द्वारा सामग्री क्रय/निर्माण कार्यों में अनियमितताऐं।
- ❖ राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत राशि आहरित कर कैशबुक में जमा न कर गबन।
- ❖ कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि/राज्य बीमा की राशि संबंधित खातों में जमा कराने का अभाव।

स्थानीय निकाय विभाग

- ❖ संस्था द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
- ❖ स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना।
- ❖ रोड कटिंग/गृहकर/नगरीय कर की वसूली का अभाव।
- ❖ संस्था की परिसम्पत्तियों के किराये की नियमित वसूली का अभाव।
- ❖ भूमि विक्रय/खांचा भूमि विक्रय आदि में अनियमितताऐं।
- ❖ भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनियमितताऐं।
- ❖ विभिन्न ठेकेदारों/ कर्मचारियों/ संस्था को दी गई अग्रिम राशि के समायोजन/वसूली का अभाव।
- ❖ संस्था द्वारा शहरी जमाबंदी (लीज) राशि की बकाया एवं नियमित वसूली का अभाव।
- ❖ लीज अवधि समाप्ति के पश्चात संशोधित लीज डीड सम्पादित नहीं करना एवं लीज राशि वसूली का अभाव।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास

- ❖ पट्टा रजिस्टर एवं इससे सम्बन्धित पत्रावलियों के संधारण का अभाव।
- ❖ लीज राशि सम्बन्धी रजिस्टर संधारण का अभाव/ लीज राशि की बकाया एवं नियमित वसूली का अभाव।
- ❖ परिसम्पत्तियों के किराया वसूली का अभाव।
- ❖ भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनियमितताऐं, गलत दर से शुल्क एवं लीज की गणना करने से हानि।
- ❖ भू–खण्ड नीलामी के प्रकरणों में आवंटी से शास्ति एवं ब्याज राशि वसूली का अभाव।
- ❖ परिधीय विकास शुल्क/बाह्य शुल्क की गणना गलत दर से करने से हानि।
- ❖ निर्धारित अवधि के पश्चात लीज समाप्ति के बावजूद लीज डीड संशोधित नहीं करने एवं लीज राशि वसूली का अभाव।
- ❖ अग्रिम राशि के समायोजन/वसूली का अभाव।

आवासन मंडल

- ❖ लीज राशि सम्बन्धी रजिस्टर के संधारण का अभाव/लीज राशि की नियमित बकाया वसूली का अभाव।
- ❖ संवेदकों के साथ किये गये अनुबंध की शर्त संख्या 2 के तहत शास्ति वसूल नहीं कर स्वविवेक से शास्ति लगाने के कारण संवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाना।
- ❖ निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले खनिजों की रॉयल्टी वसूली का अभाव।
- ❖ निर्मित मकानों/परिसम्पत्ति के निस्तारण के अभाव में भारी राशि का अवरूद्ध होना।
- ❖ किराया क्रय पद्धति पर आवंटित मकानों के आवंटियों से बकाया/नियमित वसूली का अभाव।

कृषि उपज मण्डी समितियाँ

- ❖ दुकानों, गोदामों के किराया वसूली का अभाव।
- ❖ व्यापारियों द्वारा टीनशेडों का किराया नहीं देना।
- ❖ मण्डियों में निर्मित दुकानों आदि का आवंटन नहीं होना।

4.3 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति

विभाग के अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है एवं राज्य सरकार के विशिष्ट निर्देशानुसार विशेष अंकेक्षण भी किया जाता है।इस विभाग का अंकेक्षण सत्र जून माह से प्रारंभ होकर आगामी मई माह के अंतिम कार्य दिवस तक माना जाता है।

(नोटः–अंकेक्षण वर्ष 2019–20 में कोरोना महामारी के कारण अंकेक्षण वर्ष 2020–21 का कार्यक्रम जून माह 2020 से प्रारम्भ न होकर अगस्त माह 2020 से प्रारम्भ किया गया है।)

अंकेक्षण कार्य की प्रगतिः– विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य की प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2019–20 में 10756 संस्थाओं का चालू वर्ष का एवं 35396 बकाया वर्षों का अंकेक्षण लम्बित था जिसके विरूद्व 5725 (53.23 प्रतिशत) चालू वर्षों तथा 9788 (27.65 प्रतिशत) बकाया वर्षों का अंकेक्षण सम्पन्न किया गया है।

अंकेक्षण वर्ष	किया गया अंकेक्षण			
	संस्थाऐं	चालू वर्ष	बकाया वर्ष	कुल वर्ष
2017–18 लक्ष्य	10746	10746	30958	41704
2017–18 लक्ष्य प्राप्ति		2949	6434	9383
2018–19 लक्ष्य	10755	10755	32321	43076
2018–19 लक्ष्य प्राप्ति		2554	5126	7680
2019–20 लक्ष्य	10756	10756	35396	46152
2019–20 लक्ष्य प्राप्ति		5725	9788	15513
2020–21 लक्ष्य	10797	10797	30639	41434
2020–21 लक्ष्य प्राप्ति (दिनांक 31.12.2020 तक)		1262	1706	2968
संस्थाओं का लेखा प्रमाणीकरण				
पंचायतीराज			3938	3938
शहरी स्थानीय निकाय			99	99

विभाग को वर्ष 2020–21 के दौरान 10797 संस्थाओं का चालू वर्ष का अंकेक्षण करने हेतु 30196 कार्य दिवसों की आवश्यकता थी। वर्ष के आरम्भ में अंकेक्षण हेतु उपलब्ध अनुमानित 21375 कार्य दिवस (225 कार्य दिवस प्रतिवर्ष के आधार पर) उपलब्ध थे। बकाया अंकेक्षण वर्षों सहित 41434 वर्षों के अंकेक्षण हेतु 184 अंकेक्षण दलों की आवश्यकता रही है।

राज्य सरकार द्वारा निर्देशित विशेष जांचों पर वर्ष के दौरान 2297 मानव दिवसों अर्थात 366 कार्य दिवसों का उपयोग होने के कारण एवं अंकेक्षण वर्ष 2020–21 के प्रथम माह (अगस्त,2020) की अवधि में वित्त विभाग के परिपत्र प.17(1)वित्त/अंकेक्षण/2013 पार्ट–II दिनांक 16.05.2016 के निर्देशों के क्रम में केन्द्रीय चौदहवाँ वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में निष्पादन अनुदान हेतु पंचायतीराज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2018–19 एवं इससे पूर्व के बकाया वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण कार्य किये जाने के कारण नियमित अंकेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। **इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के संदर्भ में लॉकडाउन के कारण अंकेक्षण कार्य बाधित होने के कारण अंकेक्षण वर्ष 2019–20 (02 माह) बढ़कर जुलाई,2020 तक पूर्ण हुआ था जिसके कारण अंकेक्षण वर्ष 2020–21 माह अगस्त,2020 से प्रारम्भ हुआ है।**

अंकेक्षण वर्ष 2020–21 के प्रथम माह (अगस्त) की अवधि में 3938 पंचायतीराज संस्थाओं एवं 99 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण किये जाने से वर्ष 2020–21 में 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि में 04 माह तक ही अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया है।

वर्ष 2019–20 में कार्यरत जांचदलों की संख्या 83 थी जबकि वर्ष 2020–21 के प्रारम्भ में 95 जांचदल कार्यरत थे। अंकेक्षण वर्ष 2020–21 के दौरान अतिरिक्त अस्थाई जांचदलों का गठन किये जाने के फलस्वरूप 31.12.2020 को कार्यरत जांचदलों की संख्या 97 दर्शायी गई है।

अतः वर्ष 2020–21 में 01 माह की अवधि में लेखा प्रमाणीकरण किये जानें एवं कोरोना महामारी के कारण अंकेक्षण कार्य प्रभावित रहा है। शेष अंकेक्षण के 05 माह में 97 जांचदलों द्वारा अधिक से अधिक अंकेक्षण लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

विशष नोट :– (1) वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 में पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की कुल संख्या क्रमशः 295 एवं 9891 है। राजस्थान राज्य राज–पत्र विशेषांक भाग 6 (ग) ग्राप पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के नियन्त्रण में राज्य की ग्राम पंचायतों एंव पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत जारी अधिसूचनाओं दिनांक 15.11.2019, 23.11.2017, 01.12.2019 एवं 29.01.2020 के क्रम में पंचायत समिति एंव ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बढकर क्रमशः 352 एवं 11341 हो गई है, जिन्हें आगामी अंकेक्षण वर्ष में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

विशष नोट :– (2) इसी प्रकार राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6 (क) नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि के क्रम में अधिसूचना दिनांक 18.09.2020 द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के नियंत्रण में नगर निगम की कुल संख्या 07 से बढकर 10 हो गयी है, जिन्हें आगामी अंकेक्षण वर्ष में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

4.4 आक्षेपों की स्थिति–

अंकेक्षण दलों द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं पर आक्षेपों का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। आक्षेपों में गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं एवं गबन संबंधी आक्षेपों का समावेश भी होता है। ऐसे आक्षेपों पर पृथक से विभागाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा जाता है। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर विभाग द्वारा प्रारूप प्रालेखों 'अ' व 'ब' श्रेणी का गठन किया जाता है। विभाग द्वारा तय किए मापदण्डों (परिशिष्ठ''अ'') के अनुसार 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन निदेशालय द्वारा तथा 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निम्न प्रकार के आक्षेपों का गठन किया जाता हैः–

1. सामान्य आक्षेप
2. गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख ''अ'' श्रेणी
3. अनियमितता संबंधी प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी
4. गबन सम्बन्धी आक्षेप

(अ) सामान्य आक्षेपों की विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.5.17 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
			1.06.17 से 31.05.18 तक गठित आक्षेप	1.06.17 से 31.05.18 तक निरस्त आक्षेप	31.05.18 को अवशेष आक्षेप	1.06.18 से 31.05.19 तक गठित आक्षेप	1.06.18 से 31.05.19 तक निरस्त आक्षेप	31.05.19 को अवशेष आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक गठित आक्षेप	1.06.19 से 31.07. 20 तक निरस्त आक्षेप	31.07.20 को अवशेष आक्षेप
	पंचायतीराज विभाग										
1	(i)जिला परिषद	2422	495	212	2705	250	212	2743	517	269	2991
	(ii) पंचायत समिति	58029	6493	1953	62569	4311	2119	64761	6270	3460	67625
	(iii) ग्राम पंचायत	2813165	93703	45864	2861004	77862	66982	2871884	124629	66640	2929873
	योग (1)	**2873616**	**100691**	**48029**	**2926278**	**82423**	**69313**	**2939388**	**131416**	**70315**	**3000489**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(i) नगर निगम	5056	172	28	5200	98	87	5211	97	45	5263
	(ii) नगर परिषद	13083	1217	370	13930	858	357	14431	502	886	14047
	(iii) नगर पालिका	44937	3034	1275	46696	2875	1662	47909	2628	2503	48034
	योग (2)	**63076**	**4423**	**1673**	**65826**	**3831**	**2106**	**67551**	**3227**	**3434**	**67344**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(I) जयपुर विकास प्राधिकरण	1068	26	123	971	0	27	944	90	81	953
	(II) जोधपुर विकास प्राधिकरण	502	0	11	491	0	39	452	0	66	386
	(III) अजमेर विकास प्राधिकरण	869	90	0	959	0	0	959	0	10	949
	(IV) राजस्थान आवासन मण्डल	3928	686	654	3960	402	286	4076	536	336	4276
	(V) नगर सुधार न्यास	2284	124	90	2318	357	125	2550	273	231	2592
	योग (3)	**8651**	**926**	**878**	**8699**	**759**	**477**	**8981**	**899**	**724**	**9156**
4.	**कृषि विभाग**										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	524	161	109	576	98	71	603	150	105	648
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	5964	1459	1035	6388	1555	898	7045	1600	1574	7071
	योग (4)	**6488**	**1620**	**1144**	**6964**	**1653**	**969**	**7648**	**1750**	**1679**	**7719**
5.	**अन्य संस्थायें**	11549	763	881	11431	492	604	11319	796	750	11365
	योग (5)	**11549**	**763**	**881**	**11431**	**492**	**604**	**11319**	**796**	**750**	**11365**
	महायोग	**2963380**	**108423**	**52605**	**3019198**	**89158**	**73469**	**3034887**	**138088**	**76902**	**3096073**

विभाग का आडिट सत्र जून माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने के कारण आक्षेप संबंधी सूचनायें 1/6 से 31/5 तक की अवधि की संकलित की जाती है।

नोटः– अंकेक्षण वर्ष 2020–21 का आडिट सत्र कोरोना महामारी के कारण माह अगस्त, 2020 के प्रथम दिवस से प्रारंभ हुआ।

(ब) दिनांक 31.12.2020 को बकाया सामान्य आक्षेपों की स्थिति–

क्र.सं.	विभाग का नाम	31.12.19 को अवशेष आक्षेप	1.1.20 से 31.7.20 तक की स्थिति		31.7.20 को अवशेष	1.8.20 से 31.12.20 की स्थिति		31.12.20 को अवशेष आक्षेप
			गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप		गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप	
1.	**पंचायती राज विभाग**							
	(i)जिला परिषद	2926	199	134	2991	221	116	3096
	(ii) पंचायत समिति	65778	3494	1647	67625	3277	917	69985
	(iii) ग्राम पंचायत	2870482	81213	21822	2929873	61126	54075	2936924
	योग (1)	**2939186**	84906	23603	3000489	64624	55108	3010005
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(i) नगर निगम	5279	0	16	5263	0	14	5249
	(ii) नगर परिषद	14096	194	243	14047	455	151	14351
	(iii) नगर पालिका	47403	1397	766	48034	1059	486	48607
	योग (2)	**66778**	1591	1025	67344	1514	651	68207
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(I) जयपुर विकास प्राधिकरण	953	0	0	953	0	1	952
	(II) जोधपुर विकास प्राधिकरण	388	0	2	386	0	0	386
	(III) अजमेर विकास प्राधिकरण	949	0	0	949	0	0	949
	(IV) राजस्थान आवासन मण्डल	3988	388	100	4276	205	125	4356
	(V) नगर सुधार न्यास	2430	190	28	2592	21	49	2564
	योग (3)	**8708**	578	130	9156	226	175	9207
4.	**कृषि विभाग**							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	640	44	36	648	124	41	731
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	7083	620	632	7071	736	332	7475
	योग (4)	**7723**	664	668	7719	860	373	8206
5.	**अन्य संस्थायें**	11286	325	246	11365	271	416	11220
	योग (5)	**11286**	**325**	**246**	**11365**	**271**	**416**	**11220**
	महायोग	**3033681**	**88064**	**25672**	**3096073**	**67495**	**56723**	**3106845**

(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

''अ'' श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.05.17 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
			01.06.17 से 31.05.18 तक गठित आक्षेप	01.06.17 से 31.05.18 तक निरस्त आक्षेप	31.05.18 को अवशेष आक्षेप	01.06.18 से 31.05.19 तक गठित आक्षेप	01.06.18 से 31.05.19 तक निरस्त आक्षेप	31.05.19 को अवशेष आक्षेप	01.06.19 से 31.05.20 तक गठित आक्षेप	01.06.19 से 31.05.20 तक निरस्त आक्षेप	31.05.20 को अवशेष आक्षेप
1	**पंचायती राज विभाग**										
	(1) जिला परिषद	33	0	0	33	0	0	33	0	21	12
	(2) पंचायत समितिं	1023	0	1	1022	5	2	1025	4	532	497
	योग (1)	**1056**	**0**	**1**	**1055**	**5**	**2**	**1058**	**4**	**553**	**509**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(1) नगर निगम	**271**	**10**	1	280	6	2	284	12	86	210
	(2) नगर परिषद	**338**	**9**	1	346	1	0	347	20	96	271
	(3) नगर पालिका	**657**	**11**	3	665	15	1	679	33	170	542
	योग (2)	**1266**	**30**	**5**	**1291**	**22**	**3**	**1310**	**65**	**352**	**1023**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	91	13	0	104	13	0	117	20	96	41
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	41	0	0	41	0	1	40	0	12	28
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	67	0	1	66	0	0	66	0	6	60
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	78	3	0	81	0	0	81	0	25	56
	(5) नगर सुधार न्यास	88	10	2	96	1	0	97	3	40	60
	योग (3)	**365**	**26**	**3**	**388**	**14**	**1**	**401**	**23**	**179**	**245**
4	**कृषि विभाग**										
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	11	0	0	11	0	2	9	0	4	5
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	58	0	1	57	0	1	56	1	25	32
	योग (4)	**69**	**0**	**1**	**68**	**0**	**3**	**65**	**1**	**29**	**37**
5	**अन्य संस्थाऐं**	30	0	0	30	0	1	29	0	4	25
	योग (5)	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**1**	**29**	**0**	**4**	**25**
	महायोग	**2786**	**56**	**10**	**2832**	**41**	**10**	**2863**	**93**	**1117**	**1839**

नोटः–1 वर्ष 2019–20 के अंकेक्षण वर्ष में (1 जून 2019 से 31 मई 2020 तक) निरस्त 1117 आक्षेपों में से 537 आक्षेप (जिला परिषद–16, पंचायत समिति–450 नगर निगम–4 नगर परिषद–12 नगर पालिका–51, अजमेर विकास प्राधिकरण–1, राजस्थान आवासन मण्डल–1, नगर सुधार न्यास–1, कृषि उपज मण्डी–1) 'ब' श्रेणी में परिवर्तित किए गये है एवं 565 आक्षेप (जिला परिषद–5, पंचायत समिति–81, नगर निगम–82, नगर परिषद–81, नगर पालिका–114, जयपुर विकास प्राधिकरण–96, जोधपुर विकास प्राधिकरण–12, अजमेर विकास प्राधिकरण–5, राजस्थान आवासन मण्डल–23, नगर सुधार न्यास–39, कृषि विपणन बोर्ड–3, कृषि उपज मण्डी–24) लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए जाने से उक्त आक्षेप 'अ' श्रेणी आक्षेपों की सूची में से हटा लिए गए एवं 15 आक्षेप निरस्त हुए है।

नोटः–2 जयपुर विकास प्राधिकरण के शामिल 3 आक्षेप नगर निगम जयपुर के बकाया आक्षेप में शामिल किए गए थे जिन्हे पुनः जयपुर विकास प्राधिकरण के बकाया आक्षेपों में शामिल करते हुए (17+3=20) तथा नगर निगम जयपुर के बकाया आक्षेप (15–3=12) किए गए है एवं नगर पालिका के 6 आक्षेप नगर परिषद में परिवर्तित किए गए है (दौसा–2 व बारां–4)।

इन बकाया 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख में से 649 प्रारूप प्रालेखों को स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत विधानसभा के सम्मुख रखे गए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 में लेखों की स्थिति अध्याय एवं लेखा परीक्षा अनुच्छेदों के रूप में सम्मिलित किया जा चुका है। शेष प्रारूप प्रालेखों की समीक्षा कर इन पर प्रारूप प्रालेख (ड्राफ्ट पैरा) जारी करने अथवा इनकी सामान्य आक्षेप के रूप में पालना कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

(द) दिनांक 31.12.2020 को बकाया 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख की स्थिति :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	31.12.19 को अवशेष आक्षेप	01.01.20 से 31.05.20 तक नवगठित आक्षेप	01.01.20 से 31.05.20 तक निरस्त आक्षेप/संस्था परिवर्तन	31.05.20 को अवशेष आक्षेप	01.06.20 से 31.12.20 तक नवगठित आक्षेप	01.06.20 से 31.12.20 तक निरस्त आक्षेप ले.प्र. प्रतिवेदन में शामिल/'ब' श्रेणी में परिवर्तित	31.12.20 को अवशेष आक्षेप
1	**पंचायती राज विभाग**							
	(1) जिला परिषद	12	0	0	12	0	1	11
	(2) पंचायत समितिं	497	0	0	497	1	6	492
	योग (1)	**509**	**0**	**0**	**509**	**1**	**7**	**503**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(1) नगर निगम	210	0	0	210	'1	9	202
	(2) नगर परिषद	266	6	1	271	26	24	273
	(3) नगर पालिका	549	1	8	542	11	57	496
	योग (2)	**1025**	**7**	**9**	**1023**	**38**	**90**	**971**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	40	1	0	41	2	18	25
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	28	0	0	28	0	0	28
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	60	0	0	60	0	0	60
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	56	0	0	56	0	0	56
	(5) नगर सुधार न्यास	60	0	0	60	7	1	66
	योग (3)	**244**	**1**	**0**	**245**	**9**	**19**	**235**
4	**कृषि विभाग**							
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	5	0	0	5	0	0	5
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	32	0	0	32	0	3	29
	योग (4)	37	0	0	37	0	3	34
5	**अन्य संस्थाऐं**	25	0	0	25	0	4	21
	योग (5)	25	0	0	25	0	4	21
	महायोग	**1840**	**8**	**9**	**1839**	**48**	**123**	**1764**

नोट :–

1. 1 जनवरी 2020 से 31 मई 2020 तक नगर परिषद के नवगठित आक्षेप के कॉलम में दर्शाए गए 6 आक्षेप ऐसे हैं जो नगर पालिका से नगर परिषद में परिवर्तित हुये हैं (दौसा–2, बारां–4) एवं नगर परिषद का 1 आक्षेप निरस्त हुआ हैं।
2. 1 जनवरी, 2020 से 31 मई 2020 तक नगर पालिका का 1 आक्षेप नवगठित हुआ है एवं निरस्त में दर्शाए गए 8 आक्षेप ऐसे हैं जो नगर पालिका से नगर परिषद में परिवर्तित हुये हैं (दौसा–2, बारां–4) एवं नगर पालिका के 2 आक्षेप निरस्त हुऐ हैं।
3. 1 जून 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक नगर परिषद के गठित में दर्शाये 26 आक्षेप हैं (15 नगर पालिकाओं से नगर परिषद में परिवर्तित (हिण्डौन–6,सवाई माधोपुर–5, गंगापुरसिटी–4) एवं 11 नगर परिषद के आक्षेप गठित हुए हैं।) एवं नगर परिषद के 24 आक्षेप निरस्त हुये है (17 आक्षेप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं, 1 'ब' श्रेणी में स्थानान्तरित एवं 6 निरस्त हुए हैं।)
4. 1 जून 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक नगर पालिका के 11 आक्षेप गठित हुए है एवं नगर पालिका के 57 आक्षेप निरस्त हुए है। (57 आक्षेपों में से 15 नगर पालिकाओं से नगर परिषद में परिवर्तित (हिण्डौन–6, सवाई माधोपुर–5, गंगापुरसिटी–4) एवं 36 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं तथा 6 आक्षेप निरस्त हुए हैं।

5. निरस्त कुल 123 आक्षेपों में से 84 आक्षेप (पंचायत समिति–3, नगर निगम–9, नगर परिषद–17, नगर पालिका–36, जयपुर विकास प्राधिकरण–17, नगर सुधार न्यास–1, कृषि उपज मण्डी–1) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जाने से उक्त आक्षेप बकाया सूची से हटाए गए एवं नगर परिषद सुजानगढ़ का 1 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित किया गया एवं 38 आक्षेप निरस्त हुए है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में अधिसूचना दिनांक 15.04.2011 के द्वारा धारा–18 जोड़ी गई है, जिसके तहत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान–जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

इस क्रम में विभाग का संपरीक्षित लेखों का प्रथम वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 22 मार्च, 2013, को उपास्थापित किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2012–13 का प्रतिवेदन दिनांक 20 फरवरी, 2014 को वर्ष 2013–14 का प्रतिवेदन दिनांक 25 मार्च 2015, वर्ष 2014–15 का प्रतिवेदन दिनांक 28 मार्च 2016 एवं वर्ष 2015–16 का प्रतिवेदन दिनांक 28 मार्च 2017 को, 2016–17 का प्रतिवेदन 27 फरवरी 2018 को एवं 2017–18 का दिनांक 13 फरवरी 2019 एवं 2018–19 दिनांक 26 फरवरी 2020 राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है।

(य) प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

''ब'' श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.5.17 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
			1.06.17 से 31.05.18 तक गठित आक्षेप	1.06.17 से 31.05.18 तक निरस्त आक्षेप	31.5.18 को अवशेष आक्षेप	1.06.18 से 31.05.19 तक गठित आक्षेप	1.06.18 से 31.05.19 तक निरस्त आक्षेप	31.5.19 को अवशेष आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक गटित आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक निरस्त आक्षेप	31.7.20 को अवशेष आक्षेप
1.	**पंचायतीराज विभाग**										
	(i) जिला परिषद	115	6	10	111	9	3	117	92	11	198
	(ii) पंचायत समिति	2211	333	42	2502	150	26	2626	784	52	3358
	योग (1)	**2326**	**339**	**52**	**2613**	**159**	**29**	**2743**	**876**	**63**	**3556**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(i) नगर निगम	162	38	2	198	5	0	203	38	0	241
	(ii) नगर परिषद	431	65	28	468	45	0	513	156	11	658
	(iii) नगर पालिका	1306	116	90	1332	105	9	1428	211	96	1543
	योग (2)	**1899**	**219**	**120**	**1998**	**155**	**9**	**2144**	**405**	**107**	**2442**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(I) जयपुर विकास प्राधिकरण	45	1	0	46	0	0	46	26	5	67
	(II) जोधपुर विकास प्राधिकरण	60	1	0	61	0	0	61	0	0	61
	(III) अजमेर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(IV) राजस्थान आवासन मण्डल	102	23	6	119	21	7	133	22	6	149
	(V) नगर सुधार न्यास	154	22	3	173	21	0	194	19	5	208
	योग (3)	**361**	**47**	**9**	**399**	**42**	**7**	**434**	**67**	**16**	**485**
4.	**कृषि विभाग**										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	33	15	6	42	1	0	43	1	2	42
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	183	26	23	186	27	16	197	47	23	221
	योग (4)	**216**	**41**	**29**	**228**	**28**	**16**	**240**	**48**	**25**	**263**
5.	**अन्य संस्थायें**	65	6	0	71	7	1	77	8	5	80
	योग (5)	**65**	**6**	**0**	**71**	**7**	**1**	**77**	**8**	**5**	**80**
	महायोग	**4867**	**652**	**210**	**5309**	**391**	**62**	**5638**	**1404**	**216**	**6826**

(र) 31.12.2020 को बकाया 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख की स्थिति–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.12.19 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.1.20 से 31.07.20 तक की स्थिति		31.07.20 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.08.20 से 31.12.20 की स्थिति		31.12.20 को अवशेष आक्षेप
			गठित प्रारूप प्रालेख	निस्तारित प्रारूप प्रालेख		गठित प्रारूप आक्षेप	निस्तारित आक्षेप	
1.	**पंचायती राज विभाग**							
	(i)जिला परिषद	166	32	0	198	5	4	199
	(ii) पंचायत समिति	3127	240	9	3358	103	3	3458
	कुल योग	**3293**	**272**	**9**	**3556**	**108**	**7**	**3657**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(i) नगर निगम	210	31	0	241	0	3	238
	(ii) नगर परिषद	647	13	2	658	0	5	653
	(iii)नगर पालिका	1503	46	6	1543	18	6	1555
	कुल योग	**2360**	**90**	**8**	**2442**	**18**	**14**	**2446**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	72	0	5	67	0	0	67
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	61	0	0	61	0	0	61
	(ii)राजस्थान आवासन मण्डल	148	1	0	149	0	0	149
	(iii) नगर सुधार न्यास	191	18	1	208	1	1	208
	कुल योग	**472**	**19**	**6**	**485**	**1**	**1**	**485**
4.	**कृषि विभाग**							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	43	0	1	42	7	0	49
	(ii) कृषि उपज मण्डी समिति	210	14	3	221	13	5	229
	कुल योग	**253**	**14**	**4**	**263**	**20**	**5**	**278**
5.	**अन्य संस्थायें**	78	4	2	80	0	1	79
	कुल योग	**78**	**4**	**2**	**80**	**0**	**1**	**79**
	महायोग	**6456**	**399**	**29**	**6826**	**147**	**28**	**6945**

(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

बैंक से राशि आहरित कर रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज नहीं करना, राजस्व प्राप्तियों का रोकड़ पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं करना, बिना वाऊचर के व्यय पक्ष में इन्द्राज कर राशि का अपहरण, रोकड़ पुस्तिका वाऊचर आदि में अंकगणितीय, योगात्मक एवं शेष को आगे कम दर्ज कर राशि का अपहरण करना, भण्डार के सामान कम दर्शाये जाने को गबन की श्रेणी में माना जाता है।

अंकेक्षण के दौरान ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर संस्था को निर्धारित प्रपत्र(एल.ए.ड़ी.–4) अंकेक्षण दल द्वारा जारी किया जाता है। अंकेक्षण समाप्ति तक अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर गबन प्रकरण का एल.ए.ड़ी.–44 जारी कर संस्था प्रधान, नियंत्रण अधिकारी एवं निदेशालय के ध्यान में लाया जाता है। राशि 50,000/– रूपये तक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा रू.50,000/– से अधिक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर से की जाती है। विभाग में लम्बित गबन प्रकरणों के विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	संस्था वर्ग	अंकेक्षण वर्ष 2017–18 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2018–19 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2019–20 की स्थिति	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**पंचायती राज विभाग**						
	1. जिला परिषद	4	2.06	2	1.89	3	1.89
	2. पंचायत समिति	369	418.42	367	447.20	372	461.79
	3. ग्राम पंचायत	6959	1428.01	6952	1432.92	6883	1451.07
	योग (1)	**7332**	**1848.49**	**7321**	**1882.01**	**7258**	**1914.75**
	1.राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	45	812.32	54	813.78	54	813.78
	योग(2)	**45**	**812.32**	**54**	**813.78**	**54**	**813.78**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**						
	1. नगर निगम	59	99.15	55	99.31	45	98.07
	2. नगर परिषद	20	7.05	19	6.53	26	9.92
	3. नगर पालिका	158	127.64	168	143.17	175	189.89
	योग (3)	**237**	**227.84**	**242**	**249.01**	**246**	**297.88**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**						
	1. विकास प्राधिकरण	0	0.00				
	2. नगर सुधार न्यास	2	35.91	1	35.89	1	35.89
	3. आवासन मण्ड़ल	6	53.53	6	53.53	6	53.53
	योग (4)	**8**	**89.44**	**7**	**89.42**	**7**	**89.42**
4	**कृषि विभाग**						
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	2. कृ.उ.मण्ड़ी समिति	5	3.10	8	3.17	9	3.27
	योग (5)	5	3.10	9	3.17	9	3.27
5	**अन्य संस्थाएँ**	58	69.71	59	69.78	50	70.28
	योग (6)	58	69.71	59	69.78	50	70.28
	महायोग	**7685**	**3056.90**	**7692**	**3107.17**	**7624**	**3189.38**
			***+10 ग्राम सोना**		***+10 ग्राम सोना**		***+10 ग्राम सोना**

*** राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1963–64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।**

(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2020 की स्थिति

दिनांक 31.12.20 तक स्वायत्तशाषी संस्थाओं के लेखों के अंकेक्षण के दौरान गठित, लम्बित गबन प्रकरण एवं उनके निस्तारण की स्थितिः–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	संस्था वर्ग	31.12.19 को बकाया गबन प्रकरण		1.1.20 से 31.12.20 तक गठित गबन प्रकरण		1.1.20 से 31.12.20 तक निस्तारित गबन प्रकरण		31.12.20 को बकाया गबन प्रकरण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**पंचायती राज विभाग**								
	1. जिला परिषद	3	1.89	0	0	0	0	3	1.89
	2. पंचायत समिति	372	461.79	9	33.63	13	1.23	368	494.19
	3. ग्राम पंचायत	6883	1451.07	56	314.33	211	18.41	6728	1746.99
	योग (1)	**7258**	**1914.75**	**65**	**347.96**	**224**	**19.64**	**7099**	**2243.07**
	1. राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	54	**813.78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**813.78**
	योग(2)	54	**813.78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**813.78**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**			**0**					
	1. नगर निगम	45	98.07	0	0	0	0	45	98.07
	2. नगर परिषद	26	9.92	0	0	8	1.30	18	8.62
	3. नगर पालिका	175	189.89	8	2.38	11	4.00	172	188.27
	योग (3)	**246**	**297.88**	**8**	2.38	**19**	**5.30**	**235**	**294.96**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**								
	1. जयपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.जोधपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. नगर सुधार न्यास	1	35.89	0	0	0	0	1	35.89
	4. आवासन मण्ड़ल	6	53.53	0	0	0	0	6	53.53
	योग (4)	**7**	**89.42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**89.42**
4	**कृषि विभाग**								
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. कृ.उ.मण्ड़ी समिति	9	3.27	1	.03	0	0	10	3.30
	योग (5)	**9**	3.27	**1**	**.03**	**0**	**0**	**10**	**3.30**
5	**अन्य संस्थाएँ**	50	70.28	0	0	1	*0.00	49	70.28
	योग (6)	**50**	**70.28**	**0**	**0**	**1**	***0.00**	**49**	**70.28**
	महायोग	**7624**	**3189.38**	**74**	**350.37**	**244**	**24.94**	**7454**	**3514.81**
			+10 ग्राम सोना						+10ग्राम सोना

★राशि रूपये 500/– से कम होने के कारण 0.00 दर्शाई गई है।

★★राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1963–64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।

5. विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थिति

विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के नियमित अंकेक्षण के अलावा राज्य सरकार स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत किसी भी संस्था को अधिसूचित कर इस विभाग को ऐसी संस्था का अंकेक्षण करने का निर्देश प्रदान कर सकती है। इसके अन्तर्गत वित्त विभाग तथा संस्थाओं/संस्थाओं के नियंत्रण अधिकारियों के अनुरोध पर पूर्व वर्षों की बकाया 3 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिनांक 31.12.2020) तक 2 संस्था की विशेष जांच हेतु निर्देशित किया गया, जिनमें से 2 विशेष जांच प्रकरण पूर्ण किये जाकर जांच प्रतिवेदन जारी किये जा चुके है शेष 3 विशेष जांच प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

5.1 विशेष जांच प्रकरण

''अ'' श्रेणी के विशेष जांच प्रकरणों की मोनीटरिंग निदेशालय स्तर पर की जाती है। विभाग में लम्बित विशेष जांच प्रकरणों के विगत 3 वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम संस्थायें	वित्तीय वर्ष 2017–18 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति		
		प्रतिवेदनों की संख्या	**कुल आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**
1	पंचायतीराज विभाग	61	1578	1211	61	1578	1201	61	1564	1187
2	स्थानीय निकाय विभाग	31	495	411	31	495	411	31	495	411
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं आवासन मण्डल	11	216	144	11	216	141	11	216	140
4	कृषि विभाग	01	15	15	01	15	14	01	15	14
5	आरपीएमएफ	8	304	151	8	304	151	08	304	151
6	अन्य संस्थायें	42	1430	1099	45	1479	1148	52	1638	1307
	योग	**154**	**4038**	**3031**	**157**	**4087**	**3066**	**164**	**4232**	**3210**

5.2 31.12.2020 को विशेष जांच प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की स्थिति

क्र.सं	नाम संस्था	'अ' श्रेणी			'ब' श्रेणी		
		प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप	प्रतिवेदनों की संख्या	कुल आक्षेप	बकाया आक्षेप
1	पंचायती राज संस्थाऐं	61	1564	1174	301	6394	4538
2	शहरी स्थानीय निकाय	30	488	408	140	2990	1640
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवासन मण्डल	11	216	140	14	304	148
4	कृषि विभाग की संस्थाएं	01	15	11	16	115	83
5	आरपीएमएफ	8	304	151	4	52	52
6	अन्य संस्थायें	54	1665	1294	14	356	312
	योग	165	4252	3178	489	10211	6773

6. मॉनिटरिंग की व्यवस्था

बकाया आक्षेपों के अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) की व्यवस्था

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण/अनुश्रवण हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प. 6(7)प्रसु/अनु–3 दिनांक 10.3.2000 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.2001 एवं दिनांक 05.02.2002 के द्वारा निम्नलिखित विभागों के लिए स्थाई ऑडिट समितियों का गठन किया गया है :–

1. स्थानीय निकाय विभाग
2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. पंचायती राज विभाग
4. कृषि विभाग
5. महिला एवं बाल विकास विभाग

6.1 राज्य स्तरीय विभागीय ऑडिट कमेटी :–

विभागीय राज्य स्तरीय समितियों की संरचना निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	अध्यक्ष
संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण)	सदस्य
वित्तीय सलाहकार/मु0लेखाधिकारी/व0 लेखाधिकारी (विभाग/संस्था में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

इन समितियों की वर्ष में 4 बैठक आयोजित करने के निर्देश है। वर्ष 2019–20 में कुल 8 बैठक आयोजित हुई है जिनमें से 7 बैठक दिनांक 31.12.2019 तक आयोजित हुई है। वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक 6 बैठक आयोजित हुई हैं।

6.2 संभाग स्तरीय समिति का गठन :–

संभाग स्तर पर ऑडिट प्रतिवेदनों के निरस्तारण हेतु निम्न समिति गठित है :–

1	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2	संभाग के समस्त जिला कलेक्टर	सदस्य
3	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत मुख्यालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
4	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
5	निदेशक, कृषि विपणन विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
6	निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
7	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
8	प्रशासक कृषि विपणन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता स्तर से कम न हो	सदस्य
9	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
10	संबंधित अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

संभाग स्तरीय समिति की वर्ष में 4 बैठकें आयोजित किये जाने के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2019–20 में 19 बैठकें आयोजित हुई है जिनमें से 16 बैठकें दिनांक 31.12.2019 तक आयोजित हुई है। वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक 10 बैठकें आयोजित हुई हैं।

6.3 जिला स्तरीय समिति :–

जिला स्तर पर इस विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना का अनुश्रवण करने हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित है :–

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
3	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
4	प्रशासक कृषि विपणन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता स्तर से कम न हो	सदस्य
5	निदेशक, कृषि विपणन विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
6	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
7	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
8	संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति की वित्तीय वर्ष में चार बैठकें आयोजित किये जाने के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2019–20 में 111 बैठकें आयोजित हुई है जिनमें से दिनांक 31.12.2019 तक 89 बैठकें आयोजित हुई है। वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक 49 बैठकें आयोजित हुई हैं।

7. अंकेक्षण–शुल्क की स्थिति

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प. 10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 26.03.2018 (दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी)से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु अंकेक्षण शुल्क को निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है।

क्र.सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण शुल्क की दरें
1	जिला परिषद	रू. 13,000/–प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समिति	रू. 32,000/–प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
4	अन्य संस्थाऐं	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति संस्था

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 25.04.2018 से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु निर्धारित अंकेक्षण शुल्क वसूली की दरों का लेखा प्रमाणीकरण व अंकेक्षण कार्य हेतु विभाजन करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

क्र. सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण एक साथ होने की स्थिति में समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की दर (राशि रूपये में)	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण अलग होने की स्थिति में	
			प्रमाणीकरण कार्य हेतु आनुपातिक अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)	अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)
1	2	3	4	5 (3–4)
1	पंचायत समितियाँ	रू. 32,000/– प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति	रू. 2700/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष	रू. 29300/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष
2	ग्राम पंचायत	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 700/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 3300/– प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
3	नगर पालिका/ परिषदें/निगम	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	कुल स्वीकृत कार्य दिवसों में से प्रमाणीकरण कार्य हेतु उपयोग किये गये कार्य दिवसों को घटाकर शेष कार्य दिवसों के लिए रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था

अंकेक्षण शुल्क की नवीन दरें दिनांक 01.06.2018 से लागू की गई है। अतः प्रमाणीकरण तथा शेष अंकेक्षण शुल्क की विभाजित दरें भी दिनांक 01.06.2018 से लागू होंगी।

नोट :– 1. लेखों के प्रमाणीकरण तथा अंकेक्षण कार्य के लिए प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष रू. 4000/– ही वसूल किये जाएं।

2. अन्य संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क की दरें समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार ही रहेगी।

8 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस विभाग के निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, लोक सूचना अधिकारी है। इस अधिनियम के तहत इनके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग है।

9 आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

1. अंकेक्षण वर्ष 2020–21 में 1 अगस्त, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2016 की पालना में 3935 पंचायतीराज संस्थाओं तथा 99 शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया।
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 18 के क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) वर्ष 2018–19 तैयार कर दिनांक 26.02.2020 को राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परीक्षण हेतु समय–समय पर बैठकों का आयोजन भी किया गया है।
3. विशेष जांच के 02 प्रतिवेदन जारी किये गये।

10 सार–संक्षेप

अंकेक्षण वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि में बकाया वर्षों सहित 2968 वर्षों का अंकेक्षण कार्य व 3938 पंचायतीराज संस्थाओं एवं 99 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित किया गया। इसी समयावधि में 67495 सामान्य आक्षेप गठित किये एवं 56723 आक्षेप निस्तारित किये गये, जिसमें ग्राम पंचायतों के आक्षेप भी सम्मिलित हैं।

****___****